

विनियोग संख्या 35 - ब्याज अदायगियां
APPROPRIATION No. 35-INTEREST PAYMENTS

कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+
(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		

राजस्व: प्रभारित-	Revenue: Charged-		
मूल	Original	137444,86,00	138031,86,00
पूरक	Supplementary	587,00,00	
			141374,88,27 +3343,02,27

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि Amount surrendered during the year शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. विनियोग में, यद्यपि मार्च, 2006 में 58700.00 लाख रु. का पूरक विनियोग प्राप्त किया था, व्यय स्वीकृत विनियोग से 334302.27 लाख रु. अधिक हो गया (वास्तविक अधिक व्यय 3343,02,27,172 लाख रु. था)। इस अधिक व्यय को संसद से अनुदान की अतिरिक्त मांगें स्वीकृत करवाकर विनियमित कराए जाने की आवश्यकता है।

1. In the appropriation, although supplementary appropriation of Rs.58700.00 lakhs was obtained in March, 2006, the expenditure exceeded the sanctioned appropriation by Rs.334302.27 lakhs (actual excess was Rs.3343,02,27,172). The excess requires regularisation by voting of Excess Demands for Grants by the Parliament.

अधिक व्यय/बचते निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुआ/हुई:-

Excess/savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		
मुख्य शीर्ष "2049" ब्याज अदायगियां	Major Head "2049" Interest Payments		
मू.	O.	13744486.00	13803186.00
पू.	S.	58700.00	
			14137488.27 +334302.27

(I) "आंतरिक ऋण पर ब्याज" के अंतर्गत अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुआ:-

(I) Under "Interest on Internal Debt" - excess occurred under the following heads:-

(का) "बाजार कर्ज पर ब्याज" - 118694.60 लाख रु. का अधिक व्यय (7522809.00 लाख रु. के स्वीकृत

(A) "Interest on Market Loan" - excess of Rs.118694.60 lakhs (against the sanctioned

विनियोग की तुलना में) पुनर्निर्गम व्यवस्था के माध्यम से उधार के लिए विपणनीय प्रतिभूतियों के निम्नलिखित चयन के पश्चात कूपन अदायगी किए जाने और इस प्रकार की विपणनीय प्रतिभूतियों के पुनर्निर्गम पर बट्टे की अदायगी किए जाने के कारण हुआ।

(खा) “भारतीय रिजर्व बैंक को जारी खजाना बिल और सम्बद्ध प्रतिभूतियां - खजाना बिलों पर छूट - 91 दिनों के खजाना बिल”- 29065.97 लाख रु. का अधिक व्यय (43000.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुआ; और

(गा) “खजाना बिलों पर छूट - 182 दिनों के खजाना बिलों पर ब्याज”- 3954.02 लाख रु. का अधिक व्यय (34500.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय अधिक खजाना बिल जारी किए जाने और छूट दरों को प्रत्याशा की तुलना में पक्का किए जाने के कारण हुआ।

(घा) “364 दिनों के खजाना बिलों पर ब्याज” - 18285.03 लाख रु. का अधिक व्यय (144500.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) ब्याज की प्रत्याशा से अधिक अदायगी किए जाने के कारण हुआ।

(ड) “14 दिनों के खजाना बिल”- 57813.81 लाख रु. का अधिक व्यय (58700.00 लाख रु. के पूरक विनियोग सहित 100700.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत विनियोग की तुलना में) राज्य सरकारों के प्रत्याशा से अधिक बड़े और सतत अधिशेष नकद शेष के निवेश की वजह से अधिक ब्याज की अदायगी किए जाने के कारण हुआ।

(चा) “1999-2000 से अल्प बचतों के निवल संग्रहणों के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश पर ब्याज”- 10572.18 लाख रु. का अधिक व्यय (310896.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) अनुमान से अधिक निवेश किए जाने के कारण हुआ।

(छा) “बैंक में धनराशि के जमा बाजार स्थिरीकरण स्कीम पर अदा किया गया ब्याज/छूट”- 8224.87 लाख रु. का अधिक व्यय (333850.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) ब्याज/छूट दर को स्थिर किए जाने की वजह से अधिक ब्याज की अदायगी किए जाने के कारण हुआ।

appropriation of Rs. 7522809.00 lakhs) was due to coupon payment following selection of marketable securities for borrowing through reissue mechanism and discounts paid on reissue of such marketable securities.

(B) *“Treasury bills and connected securities issued to Reserve Bank of India - Discount on Treasury Bills - 91 Days Treasury Bills” - excess of Rs.29065.97 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.43000.00 lakhs); and*

(C) *“Discount on Treasury Bills - Interest on 182 Days Treasury Bills” - excess of Rs.3954.02 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.34500.00 lakhs).*

Excess under the above two heads was due to issue of more treasury bills and firming up of discount rates than anticipated.

(D) *“Interest on 364 Days Treasury Bills”- excess of Rs. 18285.03 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.144500.00 lakhs) was due to more payment of interest than anticipated.*

(E) *“14 Days Treasury Bills”- excess of Rs.57813.81 lakhs (against the total sanctioned appropriation of Rs.100700.00 lakhs including supplementary appropriation of Rs.58700.00 lakhs) was due to payment of more interest on account of investment of large and persistent surplus cash balance of State Governments than anticipated.*

(F) *“Interest on Investment in special Government of India securities issued against net collections of small savings from 1999-2000”- excess of Rs. 10572.18 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs. 310896.00 lakhs) was due to more investment than anticipated.*

(G) *“Interest/Discount paid on Market Stabilization Scheme Deposit of Money in the Bank” - excess of Rs. 8224.87 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs. 333850.00 lakhs) was due to payment of more interest owing to firming of interest/discount rate.*

(जा) "अन्य आंतरिक ऋण-मुआवजों और अन्य बांडों पर ब्याज"- 64020.86 लाख रु. का अधिक व्यय (482728.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) प्रत्याशा से ब्याज के अधिक दावों को अधिमानता दिए जाने के कारण हुआ।

(II) "बाह्य ऋण पर ब्याज" के अंतर्गत अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुआ:-

(का) "अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक से कर्जों पर ब्याज"- 12442.72 लाख रु. का अधिक व्यय (55831.76 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुआ;

(खा) "यूएसएसआर की सरकार से कर्जों पर ब्याज"- 4040.17 लाख रु. का अधिक व्यय (8096.62 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुआ; और

(गा) "एशियाई विकास बैंक से कर्जों पर ब्याज"- 9441.66 लाख रु. का अधिक व्यय (18277.83 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय विनिमय दर में परिवर्तन होने के कारण हुआ।

(III) "अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज" के अंतर्गत अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुआ:-

(का) "राज्य भविष्य निधि पर ब्याज"-

(क) "सामान्य भविष्य निधि"- 18327.61 लाख रु. का अधिक व्यय (251231.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) प्रत्याशा से अधिक जमाओं के कारण हुआ।

(ख) "राज्य रेलवे भविष्य निधि"- 1701.88 लाख रु. का अधिक व्यय (82397.09 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) निधि में प्रत्याशा से अधिक अनुवृद्धि होने के कारण हुआ।

(खा) "बीमा और पेंशन निधि पर ब्याज - डाक बीमा और जीवन वार्षिकी निधि" - 2535.52 लाख रु. का

(H) "Interest on other Internal Debts-Compensation and other Bonds" - excess of Rs.64020.86 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.482728.00 lakhs) was due to preference of more claims of interest than anticipated.

(II) Under "Interest on External Debt" - excess occurred under the following heads:-

(A) "Interest on Loans from the International Bank for Reconstruction and Development"- excess of Rs. 12442.72 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.55831.76 lakhs);

(B) "Interest on Loans from the Government of U.S.S.R." - excess of Rs.4040.17 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs. 8096.62 lakhs); and

(C) "Interest on Loans from Asian Development Bank"- excess of Rs.9441.66 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.18277.83 lakhs).

Excess under the above three heads was due to exchange rate variation.

(III) Under "Interest on Small Savings, Provident Funds etc." - excess occurred under the following heads:-

(A) "Interest on State Provident Fund" -

(a) "General Provident Fund"- excess of Rs.18327.61 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.251231.00 lakhs) was due to more deposits than anticipated.

(b) "State Railway Provident Fund"- excess of Rs.1701.88 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.82397.09 lakhs) was due to more accretion in the fund than anticipated.

(B) "Interest on Insurance and Pension Fund-Postal Insurance and Life Annuity Fund"- excess of Rs.2535.52 lakhs (against the sanctioned

अधिक व्यय (77911.60 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) प्रत्याशा से अधिक जमाओं के कारण हुआ।

(गा) "विशेष जमाओं और लेखों पर ब्याज - यूटीआई को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां"- 742.60 लाख रु. का अधिक व्यय (27625.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) संशोधित अनुमान चरण पर आवश्यकता का पुनर्निर्धारण किए जाने के कारण हुआ।

(घा) "अन्य जमाओं और लेखों पर ब्याज - सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए जमा स्कीम पर ब्याज"- 865.82 लाख रु. का अधिक व्यय (6500.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) प्रत्याशा से अधिक बांड जारी किए जाने की वजह से अधिक ब्याज की अदायगी किए जाने के कारण हुआ।

(IV). "आरक्षित निधियों पर ब्याज" के अंतर्गत अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुआ:-

(का) "मूल्यहास नवीकरण आरक्षित निधियों पर ब्याज" -

(क) "रेलवे मूल्यहास आरक्षित निधि"- 8657.18 लाख रु. का अधिक व्यय (15248.81 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुआ;

(ख) "अफीम और एल्केलाइड कारखाना मूल्यहास आरक्षित निधि"- 333.52 लाख रु. का अधिक व्यय (70.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुआ;

(खा) "रेलवे विकास निधि पर ब्याज" - 17720.55 लाख रु. का अधिक व्यय (927.32 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुआ;

(गा) "सामान्य और अन्य आरक्षित निधियों पर ब्याज" -

(क) "रेलवे पेंशन निधि" - 1894.47 लाख रु. का अधिक व्यय (8257.24 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुआ;

(ख) "रेलवे पूंजीगत आरक्षित निधि पर ब्याज" - 5221.29 लाख रु. का अधिक व्यय (107.94 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुआ; और

appropriation of Rs.77911.60 lakhs) was due to more deposits than anticipated.

(C) "*Interest on Special Deposits and Accounts - Special Securities issued to UTI*" - excess of Rs.742.60 lakhs (against the sanctioned *appropriation of Rs. 27625.00 lakhs*) was due to reassessment of requirement at the revised estimates stage.

(D) "*Interest on Other Deposits and Accounts - Interest on Deposits Scheme for retiring Government employees*"- excess of Rs. 865.82 lakhs (against the sanctioned *appropriation of Rs.6500.00 lakhs*) was due to payment of higher interest owing to issue of more bonds than anticipated.

(IV) Under "*Interest on Reserve Funds*" - excess occurred under the following heads:-

(A) "*Interest on Depreciation Renewal Reserve Funds*" -

(a) "*Railway Depreciation Reserve Fund*" - excess of Rs.8657.18 lakhs (against the sanctioned *appropriation of Rs. 15248.81 lakhs*);

(b) "*Opium and Alkaloid Factories Depreciation Reserve Fund*"- excess of Rs.333.52 lakhs (against the sanctioned *appropriation of Rs. 70.00 lakhs*);

(B) "*Interest on Railway Development Fund*"- excess of Rs.17720.55 lakhs (against the sanctioned *appropriation of Rs. 927.32 lakhs*);

(C) "*Interest on General and Other Reserve Funds*"-

(a) "*Railway Pension Fund*"- excess of Rs.1894.47 lakhs (against the sanctioned *appropriation of Rs. 8257.24 lakhs*);

(b) "*Interest on Railway Capital Reserve Fund*"- excess of Rs. 5221.29 lakhs (against the sanctioned *appropriation of Rs.107.94 lakhs*); and

(V) “अन्य दायित्वों पर ब्याज” के अंतर्गत अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुआ:-

(का) “जमाओं पर ब्याज”-

(क) “राष्ट्रीय रक्षा निधि” - 690.97 लाख रु. का अधिक व्यय (4398.30 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त छह शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय निधि में प्रत्याशा से अधिक अनुवृद्धि होने के कारण हुआ।

(ख) “एनपीसीआईएल में आमेलित डीआई के प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मचारियों के उपदान और पेंशन के संराशित मूल्य की जमा पर ब्याज”- 120.41 लाख रु. का अधिक व्यय (6.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) प्रत्याशा से कम आहरण किए जाने के कारण हुआ।

(खा) “पेट्रोलियम बांडों पर ब्याज - तेल कंपनियों पर 7% ब्याज भारत सरकार का विशेष बांड, 2012” - 20169.98 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य विनियोग की तुलना में) बजट अनुमान तैयार किए जाते समय ब्याज का अनुमान न लगाए जाने के कारण हुआ क्योंकि विशेष बांड 7.9.2005 को जारी किए गए थे।

(गा) “विविध - विशेष आहरण अधिकारों के उपयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को देय प्रभार” - 3965.40 लाख रु. का अधिक व्यय (7977.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रस्तावित अदायगियों में परिवर्तन होने और विशेष आहरण अधिकार की ब्याज दर/प्रभार में परिवर्तन होने और साथ ही रुपए की विनिमय दर में परिवर्तन होने के कारण हुआ।

(VI) एक शीर्ष के अंतर्गत 83.62 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत विनियोग का 239 प्रतिशत था।

2. उपर्युक्त अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत बचतों द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गया:-

(I) 929.15 लाख रु. का विनियोग छह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 900.00 लाख रु. अकेले “आरक्षित निधियों पर ब्याज - सामान्य और अन्य

(V) Under “Interest on Other Obligations”- excess occurred under the following heads:-

(A) “Interest on Deposits”-

(a) “National Defence Fund” - excess of Rs.690.97 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs. 4398.30 lakhs).

Excess under the above six heads was due to more accretion in the fund than anticipated.

(b) “Interest on Deposit of Gratuity and Commuted value of Pension of DAE Deputationists absorbed in NPCIL”- excess of Rs. 120.41 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs. 6.00 lakhs) was due to less withdrawal than anticipated.

(B) “Interest on Petroleum Bonds - Interest on 7% Oil Companies Government of India Special Bond, 2012” - excess of Rs.20169.98 lakhs (against nil appropriation) was due to non-estimation of interest at the time of framing of budget estimates as the Special Bonds were issued on 7.9.2005.

(C) “Miscellaneous” - Charges payable to IMF for utilization of SDRs”- excess of Rs.3965.40 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs. 7977.00 lakhs) was due to change in the payments projected by the IMF and variation in the SDR rate of interest / charge as well as variation in the rupee exchange rate.

(VI) Under one head excess of Rs.83.62 lakhs occurred constituting 239 percent of the sanctioned appropriation.

2. The above excess was partly offset by savings under the following heads:-

(I) Appropriation of Rs.929.15 lakhs remained wholly unutilised under six heads; of these Rs.900.00 lakhs alone accounted for under “Interest on Reserve Funds - Interest on General

आरक्षित निधियों पर ब्याज - औषधीय अनुसंधान और विकास सहायता निधि पर ब्याज'' के अंतर्गत निधि को बंद किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(II) "आंतरिक ऋण पर ब्याज''-

(का) "अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज''- 14979.32 लाख रु. की बचत (15000.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) अर्थोपाय अग्रिमों का कम सहारा लिए जाने के कारण हुई।

(खा) "1.4.1999 की स्थिति के अनुसार अल्प बचतों के बकाया शेषों के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश पर ब्याज''- 104.51 लाख रु. की बचत (877581.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) प्रत्याशा की अपेक्षा समय से पूर्व मोचन किए जाने के कारण हुई।

(गा) "केंद्रीय/राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों के मोचन पर प्राप्त राशियों के पुनः निवेश के अंतर्गत राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी की गई भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियाँ''- 26092.08 लाख रु. की बचत (626856.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) प्रत्याशा से कम निवेश किए जाने के कारण हुई।

(III) "ऋण प्रबंधन''- 291.55 लाख रु. की बचत (50000.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रत्याशा से कम दावे किए जाने के कारण हुई।

(IV) "बाह्य ऋणों पर ब्याज''-

(का) "फ्रांस की सरकार से कर्जों पर ब्याज''- 723.49 लाख रु. की बचत (6914.97 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुई;

(खा) "जर्मन संघीय गणराज्य की सरकार से कर्जों पर ब्याज'' - 1732.29 लाख रु. की बचत (10062.53 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुई;

(गा) "अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ से कर्जों पर ब्याज'' - 5595.53 लाख रु. की बचत (87824.74 लाख रु. के

and Other Reserve Funds - Interest on Pharmaceutical Research and Development Support Fund'' - due to discontinuation of fund.

(II) "Interest on Internal Debt''-

(A) "Interest on Ways and Means Advances'' - saving of Rs. 14979.32 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs. 15000.00 lakhs) was due to less recourse to Ways and Means Advances.

(B) "Interest on Investment in Special Government of India securities issued against outstanding balances of small savings as on 1-4-1999'' - saving of Rs. 104.51 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs. 877581.00 lakhs) was due to earlier redemption than anticipated.

(C) "Special Government of India Securities issued to NSSF against reinvestment of sums received on redemption of Special Central/State Government Securities'' - saving of Rs. 26092.08 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs. 626856.00 lakhs) was due to less investment than anticipated.

(III) "Management of Debt''- saving of Rs.291.55 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.50000.00 lakhs) was due to less claims by the Reserve Bank of India than anticipated.

(IV) "Interest on External Debt''-

(A) "Interest on Loans from the Government of France''- saving of Rs.723.49 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.6914.97 lakhs);

(B) "Interest on Loans from the Government of Federal Republic of Germany''- saving of Rs.1732.29 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs. 10062.53 lakhs);

(C) "Interest on Loans from International Development Association''- saving of Rs. 5595.53

स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुई;

(घा) "अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि से कर्जों पर ब्याज"- 126.98 लाख रु. की बचत (1256.43 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुई; और

(ड) "जापान की सरकार से कर्जों पर ब्याज"- 13189.29 लाख रु. की बचत (112464.50 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत बचतें विनिमय दर में परिवर्तन होने के कारण हुई।

(V) "अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज"-

(का) "राज्य भविष्य निधि पर ब्याज - अन्य राज्य भविष्य निधि" - 10165.83 लाख रु. की बचत (109666.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुआ;

(खा) "बीमा और पेंशन निधियों पर ब्याज"-

(क) "औद्योगिक कामगारों के लिए परिवार पेंशन एवं जीवन बीमा निधि"- 3353.00 लाख रु. की बचत (255900.61 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुई; और

(ख) "संघ राज्य क्षेत्रा सरकारी कर्मचारी समूह बीमा स्कीम"- 332.09 लाख रु. की बचत (1685.50 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें अनुमान से कम जमाओं के कारण हुई।

(गा) "विशेष जमाओं और लेखों पर ब्याज"-

(क) "राष्ट्रीयकृत बैंकों को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियाँ"- 4395.99 लाख रु. की बचत (191870.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की

lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.87824.74 lakhs);

(D) "Interest on Loans from International Fund for Agricultural Development"- saving of Rs.126.98 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs. 1256.43 lakhs); and

(E) "Interest on Loans from the Government of Japan"- saving of Rs.13189.29 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs. 112464.50 lakhs).

Savings under the above five heads were due to exchange rate variation.

(V) "Interest on Small Savings, Provident Funds etc." -

(A) "Interest on State Provident Fund - Other State Provident Fund"- saving of Rs. 10165.83 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs. 109666.00 lakhs);

(B) "Interest on Insurance and Pension Funds"-

(a) "Family Pension-cum-Life Assurance Fund for Industrial Workers"- saving of Rs.3353.00 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs. 255900.61 lakhs); and

(b) "Union Territory Government Employees Group Insurance Scheme"- saving of Rs.332.09 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs. 1685.50 lakhs).

Savings under the above three heads were due to less deposits than anticipated.

(C) "Interest on Special Deposits and Accounts" -

(a) "Special Securities issued to Nationalised Banks"- saving of Rs. 4395.99 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.191870.00 lakhs) was due to payment

- तुलना में) ब्याज की अदायगी भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यक्रम के अनुसार किए जाने के कारण हुई।
- (ख) “ईपीएफ/ईडीएलआई की विशेष जमाएं”- 558.58 लाख रु. की बचत (24871.42 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) अभिदान के प्रत्याशा से कम होने की वजह से ब्याज की कम अदायगी किए जाने के कारण हुई।
- (घा) “क्षेत्रीय जमाओं पर बोनस - इंडिया रैंकों के असंवितरित वेतन के लिए बोनस”- 133.04 लाख रु. की बचत (7981.39 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) निधि से प्रत्याशा से अधिक आहरण किए जाने के कारण हुई।
- (ङ) “अन्य जमाओं और लेखों पर ब्याज - सार्वजनिक क्षेत्रा के सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए जमा स्कीम पर ब्याज” - 296.42 लाख रु. की बचत (1500.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) स्कीम के अंतर्गत अनुमान से कम शेष रहने और परिणामतः वर्ष के दौरान कम ब्याज की अदायगी किए जाने के कारण हुई।
- (VI) “आरक्षित निधियों पर ब्याज”-
- (का) “मूल्यहास नवीकरण आरक्षित निधियों पर ब्याज - बदरपुर ताप विद्युत केंद्र मूल्यहास आरक्षित निधि” - 1506.43 लाख रु. की बचत (11474.64 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) ब्याज दर में कमी आने के कारण हुई।
- (खा) “सामान्य और अन्य आरक्षित निधियों पर ब्याज - मूल्य स्थिरीकरण निधि पर ब्याज”- 329.29 लाख रु. की बचत (4192.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) निधि में प्रत्याशा से कम अनुवृद्धि होने के कारण हुई।
- (VII) “अन्य देयताओं पर ब्याज - जमाओं पर ब्याज - वस्त्रा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1995 की धारा 9(2) और 18(6) के अंतर्गत ब्याज” - 181.05 लाख रु. की बचत (2604.03 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) प्रत्याशा से कम आवश्यकता होने के कारण हुई।
- of interest as per Reserve Bank of India schedule.
- (b) “Special Deposits of EPF/EDLI”- saving of Rs.558.58 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs. 24871.42 lakhs) was due to less payment of interest owing to less subscription than anticipated.
- (D) “Bonus on Field Deposits - Bonus for Undisbursed Pay of India Ranks” - saving of Rs.133.04 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.7981.39 lakhs) was due to more withdrawal from the funds than anticipated.
- (E) “Interest on other Deposits and Accounts- Interest on Deposit Scheme for retiring employees of Public Sector Undertakings ”- saving of Rs.296.42 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.1500.00 lakhs) was due to lesser balances than estimated under the scheme and consequent payment of less interest during the year.
- (VI) “Interest on Reserve Funds”-
- (A) “Interest on Depreciation Renewal Reserve Funds - Badarpur Thermal Power Station Depreciation Reserve Fund”- saving of Rs.1506.43 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.11474.64 lakhs) was due to decrease in the interest rate.
- (B) “Interest on General and Other Reserve Funds - Interest on Price Stabilisation Fund”- saving of Rs.329.29 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs. 4192.00 lakhs) was due to less accretion in the fund than anticipated.
- (VII) “Interest on other Obligations - Interest on Deposits - Interest under Section 9(2) and 18(6) of Textile Undertakings(Nationalisation) Act, 1995”- saving of Rs.181.05 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs. 2604.03 lakhs) was due to less requirement than anticipated.

(VIII) एक शीर्ष के अंतर्गत 56.92 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत विनियोग का 57 प्रतिशत थी।

(VIII) Under one head saving of *Rs.56.92 lakhs* occurred constituting 57 percent of the sanctioned *appropriation*.
